"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 नवम्बर 2014—अग्रहायण 7, शक 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कुमार सिंह मिर्झा पिता स्व. भगेला राम मिर्झा, उम्र 55 वर्ष, निवासी-13/डी, ए पॉकेट, मड़ौदा सेक्टर, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम कुमार सिंह मिमरचे दर्ज है जबकि मेरे मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड एवं पेन कार्ड में मेरा नाम कुमार सिंह मिर्झा दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम कुमार सिंह मिर्झा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे कुमार सिंह मिर्झा पिता स्व. भगेला राम मिर्झा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

कुमार सिंह मिमरचे
पिता-स्व. भगेला राम मिर्झा
निवासी-13/डी, ए पॉकेट, मरोदा सेक्टर, भिलाई नगर
तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)

नया नाम

कुमार सिंह मिर्झा
पिता-स्व. भगेला राम मिर्झा
निवासी-13/डी, ए पॉकेट, मरोदा सेक्टर, भिलाई नगर
तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती चुनेश्वरी कंवर ध.प. श्री सिद्धार्थ सिंह कंवर, उम्र 28 वर्ष, जाति कंवर, निवासी-ग्राम जेंजरा, पोस्ट सुरसाबांधा, तह. राजिम, जिला गरियाबंद (छ.ग.) की हूं. पूर्व में मैं श्रीमती चुनेश्वरी चन्द्रवंशी पति स्व. नेपाल सिंह चन्द्रवंशी के नाम से जानी पहचानी जाती थी तथा मेरे सभी दस्तावेजों, शासकीय नौकरी, शासकीय, अर्धशासकीय एवं अन्य अभिलेखों में दर्ज है. मेरे परिवार वालों ने मेरा पुनर्विवाह दिनांक 11-05-2014 को श्री सिद्धार्थ सिंह कंवर आ. अमर सिंह कंवर के साथ कर दिया. पुनर्विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती चुनेश्वरी कंवर रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती चुनेश्वरी कंवर पति श्री सिद्धार्थ सिंह कंवर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

श्रीमती चुनेश्वरी चन्द्रवंशी
पति-स्व. नेपाल सिंह चन्द्रवंशी
निवासी-ग्राम चंगोरी, पोस्ट थनौद,
तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)

नया नाम

श्रीमती चुनेश्वरी कंवर
पति-श्री सिद्धार्थ सिंह कवर
निवासी-ग्राम जेंजरा, पोस्ट-सुरसाबांधा, तहसील राजिम
जिला गरियाबंद (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मै, शेख अलीशा पत्नि श्री शेख शरीफ, उम्र 28 वर्ष, निवासी टी. आर. टी./एफ नं. 217, ब्लाक नं. 05, ए. सी. सी. कालोनी, जामुल जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. विवाह पूर्व मैं रामागिरी कासिम बी पिता रामागिरी पोलैया था. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम शेख अलीशा रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे शेख अलीशा पति श्री शेख शरीफ के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

रामागिरी कासिम बी
पिता श्री रामागिरी पोलैया
निवासी-टी. आर. टी एफ नं. 217,
ब्लाक नं. 05, ए. सी. सी. कालोनी
जामुल, जिला दुर्ग (छ.ग.)

नया नाम

शेख अलीशा
पति श्री शेख शरीफ
निवासी-टी. आर. टी एफ नं. 217,
ब्लाक नं. 05, ए. सी. सी. कालोनी
जामुल, जिला दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती ज्ञानवती कुशवाहा पति श्री शिवनारायण कुशवाहा, उम्र 39 वर्ष, निवासी-रामनगर भिलाई, पोस्ट सुपेला, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. विवाह पूर्व मेरा नाम लालमणी उर्फ ज्ञानमती आ. स्व. भैयालाल कुशवाहा था तथा मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. विवाह पश्चात् मैं अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती ज्ञानवती कुशवाहा रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दो हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती ज्ञानवती कुशवाहा पति श्री शिवनारायण कुशवाहा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

लालमणी कुशवाहा
आत्मज स्व. भैयालाल कुशवाहा
निवासी-रामनगर भिलाई
तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)

नया नाम

श्रीमती ज्ञानवती कुशवाहा
पति श्री शिवनारायण कुशवाहा
निवासी-रामनगर वार्ड नं. 12 भिलाई
तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय पंजीयक, लोक न्यास अनुविभाग अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

-अंबिकापुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2014

प्ररुप-चार
[नियम 5 (1) देखिये]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) तथा छ. ग. लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 का उप नियम (1) देखिये]

क्रमांक 2238/वाचक-1/2014.—यह की श्री कमल राय आ. स्व. विवेकानंद राय, निवासी सुभाषनगर अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ. ग.) ने छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 29-11-2014 को विचार के लिए लिया जाएगा.

अत: मैं एन. एस. भगत, अनुविभाग अम्बिकापुर के लोक न्यासों के पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 29-11-2014 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी मत या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और मेरे न्यायालय में समक्ष में उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	हर गौरी फाउंड़ेशन, सुभाषनगर, अम्बिकापुर तहसील-अम्बिकापुर, जिला सरगुजा.
(2)	चल संपत्ति	:	रुपये 1200.00 (एक हजार दो सौ मात्र)
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

एन. एस. भगत,
पंजीयक.

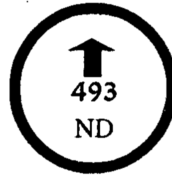
अन्य सूचनाएं

वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, राजनांदगांव

राजनांदगांव, दिनांक 11 नवम्बर 2014

क्रमांक/मा.चि./9236.—सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न दर्शित बीट हेमर राजनांदगांव वनमण्डल के परिक्षेत्र राजनांदगांव के सुरगी बीट हेतु श्री पंचराम साहू, वनरक्षक को परिक्षेत्र अधिकारी, राजनांदगांव के माध्यम से बीट हैमर गोल क्र. 493 ND दिनांक 08-10-14 द्वारा जारी किया गया था. श्री पंचराम साहू, वनरक्षक से उक्त हेमर महाराजपुर के आसपास कहीं गुम हो गया.

गुमशुदा हेमर की खोज बीन किया गया लेकिन हेमर नहीं मिला. उप वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव का पृष्ठां. क्रमांक/1556 दिनांक 05-11-14 का अवलोकन करने के बाद निम्न आदेश पारित किया जाता है.



आदेश क्र. 450 दिनांक 11-11-14, वन वित्तीय नियम की धारा 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त बीट हैमर गोल क्र. 493 ND वनमण्डल के अभिलेख से अपलेखित किया जाता है तथा उसकी कीमत 200/- श्री पंचराम साहू, वनरक्षक से वसूल करने का आदेश पारित किया जाता है तथा लापरवाही बरतने के फलस्वरूप चरित्रावली चेतावनी दी जाती है.

यदि किसी व्यक्ति को उक्त बीट हैमर मिले तो उसे समीपस्थ पुलिस थाना या वन कार्यालय में जमा करें. कोई व्यक्ति उसे अवैधानिक रूप से रखे हुए या उपयोग करते हुए पकड़े जाने पर उसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 63 के अंतर्गत अभियोग लगाया जावेगा तथा वह दण्ड का भागी होगा.

पी. अरूण प्रसाद (भा. व. से.),
वनमंडल अधिकारी

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 5 नवम्बर 2014

क्रमांक/उ.पं. दु./परिसमापन/2014/1337.—थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या. दुर्ग पंजीयन क्रमांक-39 जिला दुर्ग को छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) के प्रावधान/अनुरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/1169 दिनांक 05-09-2005 के द्वारा सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड दुर्ग जिला दुर्ग को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

उक्त संस्था के परिसमापक श्री पी. के. जैन, सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड दुर्ग जिला दुर्ग द्वारा छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं छत्तीसगढ़ सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अन्तर्गत संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिससे मैं सन्तुष्ट हूं और यह धारणा करती हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं श्रीमती किरण गुप्ता उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. की शक्तियों का उपयोग करते हुए छ. ग. सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या. दुर्ग पंजीयन क्रमांक-39 जिला दुर्ग का पंजीयन निरस्त करती हूं, और उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 03-11-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

किरण गुप्ता,
उप पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धमतरी (छ. ग.)

धमतरी, दिनांक 29 अक्टूबर 2014

[छ.ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंध/परिसमापन/2014/484.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंध/परिसमापन/2014/226 धमतरी दिनांक 09-07-2014 के द्वारा साई कृपा बीज एवं बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित पचपेड़ी पंजीयन क्रमांक 159 का छ. ग. सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 के धारा 69 के अंतर्गत श्री विनय वर्मा सहकारी निरीक्षक धमतरी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन के कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं उमेश तिवारी उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ धमतरी छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1950 की धारा 18 (1) (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99 पन्द्रह-1-सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था को नियमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

धमतरी, दिनांक 29 अक्टूबर 2014

[छ.ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंध/परिसमापन/2014/485.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंध/परिसमापन/2014/249 धमतरी दिनांक 17-07-2014 के द्वारा पुलिस बल साख सहकारी समिति मर्यादित धमतरी पंजीयन क्रमांक 148 का छ. ग. सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 के धारा 69 के अंतर्गत श्री विनय वर्मा सहकारी निरीक्षक धमतरी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन के कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं उमेश तिवारी उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ धमतरी छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1950 की धारा 18 (1) (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99 पन्द्रह-1-सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था को नियमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

धमतरी, दिनांक 29 अक्टूबर 2014

[छ.ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंध/परिसमापन/2014/486.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंध/परिसमापन/2014/228 धमतरी दिनांक 09-07-2014 के द्वारा आदिवासी फर्नीचर निर्माण एवं क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित धमतरी पंजीयन क्रमांक 125 का छ. ग. सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 के धारा 69 के अंतर्गत श्री विनय वर्मा सहकारी निरीक्षक धमतरी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन के कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं उमेश तिवारी उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ धमतरी छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1950 की धारा 18 (1) (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99 पन्द्रह-1-सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था को नियमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

उमेश तिवारी,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.